



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241765
CG-DL-E-07012023-241765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

का.आ. 80(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4791(अ) तारीख 07 अक्टूबर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापूर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 के भूखण्ड के निर्माण (छह /आठ लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18/10/2022 को दिव्या मराठी (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (इंग्रजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापूर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: दक्षिण सोलापूर				
	गांव का नाम: घोडातंडा				
1	48 Pt	निजी	शुष्क	1.02	धर्मा देसू राठोड, राजश्री पांडू राठोड, मिथुन पांडू राठोड व इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (48 पै.)
2	53 Pt	निजी	शुष्क	4.0207	दत्ता धर्मा घोडके, हिरू पोमू जाधव, सोनाबाई दुर्गाप्पा घोडके, परशुराम दुर्गाप्पा घोडके, सुवर्णा अंबादास चव्हाण, आवासाहेब भीमाशंकर माने व इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (53 पै.)
3	55 Pt	निजी	शुष्क	0.32	राजेखान नबीसाब नदाफ, इंदिरा बळवंत पांडरे आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (55 पै.)
4	69 Pt	निजी	शुष्क	1.5	काशिनाथ शाहू राठोड, मोहियोद्दीन याकुब खान आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (69 पै.)
5	71 Pt	निजी	शुष्क	1.9	अक्षय श्रीशैल समाने आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (71 पै.)
6	72 Pt	निजी	शुष्क	1.48	दिलीप अंबादास नाईकवाडी, अर्जुन चंद्रशेखर नाईकवाडी व इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (72 पै.)
7	74 Pt	निजी	शुष्क	1.05	सैफन फतेखा चितरे आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (74 पै.)

8	75Pt	निजी	शुष्क	1.98	सोनाबाई रामचंद्र जाधव, शोभा रामू पवार व इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (75 पै.)
			कुल	13.2707	

[फा. सं NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 80(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 4791 (E) dated 07 Oct 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Six/Eight-laning etc.), maintenance management and operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Divya Marathi (Marathi)" and "Daily Indian Express (English)" both dated 18.10.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 in Solapur District in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Solapur South				
	Village: Ghodatanda				
1	48 Pt	Private	Dry	1.02	Dharma Desu Rathod, Rajshri Pandu Rathod, Mithun Pandu Rathod and Other, As Per Record of Rights 48 Pt.

2	53 Pt	Private	Dry	4.0207	Datta Dharma Ghodke, Hiru Pomu Jadhav, Sonabai Durgappa Ghodke, Parshuram Durgappa Ghodke, Suvarna Ambadas Chavhan, Abasaheb Bhimashankar Mane and Other, As Per Record of Rights 53 Pt.
3	55 Pt	Private	Dry	0.32	Rajekhan Nabisab Nadaf, Indira Balvant Pandhare and Other, As Per Record of Rights 55 Pt.
4	69 Pt	Private	Dry	1.5	Kashinath Shahu Rathod, Mohiyoddin Yakub Khan and Other, As Per Record of Rights 69 Pt.
5	71 Pt	Private	Dry	1.9	Akshay Shrishail Samane and Other, As Per Record of Rights 71 Pt.
6	72 Pt	Private	Dry	1.48	Dilip Ambadas Naikwadi, Arjun Chandrashekhar Naikwadi and Other, As Per Record of Rights 72 Pt.
7	74 Pt	Private	Dry	1.05	Saifan Fatekha Chitare and Other, As Per Record of Rights 74 Pt.
8	75Pt	Private	Dry	1.98	Sonabai Ramchandra Jadhav, Shobha Ramu Pawar and Other, As Per Record of Rights 75 Pt.
			TOTAL	13.2707	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D1]

RAJESH GUPTA, Director